नम्बर व तारीख अहकाम व हुक्म में जारी हुए	राधेश्याम V/s दुर्गाशंकर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज वाद 133/2015 (2015/00333)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/4/2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी (प्रतिवादीगण) ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात मे चाहे गए अनुतोष के सम्बन्ध मे पूर्व मे वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-53 RTA के तहत वाद संख्या 173/95 प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 28/2/2000 को खारीज हो चुका है। पुनः वादी द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो पूर्व न्याय (रेसज्यूडीकेटा) के सिद्धान्त से ग्रसित होकर विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र के रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त से ग्रसित होने से वाद पत्र निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता विपक्षी/वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पूर्व वाद मे जिस आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे गए आधारों एवं वर्तमान वाद मे वर्णित आधारों मे भिन्नता होने से पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन/अध्ययन कर वाद पत्र एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध मे पूर्व वाद संख्या 173/95 दिनांक 28/2/2000 को निर्णित हो चुका है, प्रस्तुत वाद पत्र पर रेसज्यूडीकेटा का प्रभाव होने से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद पत्र खारीज किया जाता है। निर्णयानुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

Scanned with AnyScanner